(नियम - 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (मुकाम) मा०जं०

भीजाराम वि० मुख्यालय परिवर्तन बनाम सरपंच ग्रा०पं० बोरीमादा

किस्म मुकदमा 75 L.R.Act नं. 72/18 सन्

तारीख हुक्मा	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तामिल में जारी हुए ।
25/4/18	अपील अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा विरुद्ध रेस्पा० के अन्तर्गत धारा 75 L.R.Act के तहत पेश की। अपीलांट की अपील subject to limitation दर्ज रजिस्टर की जावे। रेस्पा० जरिये नोटिस तलब होकर आयन्दा दिनांक 7/6/18 को पेश हो। S.D.O	
7/6/18	राज्य सरकार एवं श्रीमान जिला कलेक्टर महो. पाली के आदेशानुसार पत्रावली आयन्दा केम्प ... ग्राम पंचायत मुख्यालय बोरीमादा ... पर पेश हों। दिनांक 7/6/18 उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन	
7/6/18	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 बमुकाम अटल सेवा केन्द्र बोरीमादा में पेश हुई। अपीलांट उप०। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व रेकार्ड भी अवलोकन किया। अपील अपीलांट ने इस आशय की पेश की कि सरहद्द मौजा मुड़िया	निरस्त किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है वी.डी.ओ. 12/14 गिरधारीलाल सीमा

तारीख हुक्मा	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तामिल में जारी हुए
	के खसरा नं० 20, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 / कुल 15 किसरान की कृषि भूमि अपीलांट के पूर्वज की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि दर्ज है अपीलांट के पूर्वज केरा s/o मोटा कौम. गवारिया का सम्पूर्ण आराजी मे 1/5 हिस्सा आता है केरा का एवं अपीलांट के दादा जी का देहान्त होने पर रेस्पा० से मिलीभगत कर अकेले के नाम सम्पूर्ण आराजी का नामान्तरकरण सं० 11 दर्ज कर दिया गया। जबकि केरा के पुत्र क्रमशः सगाराम पेराराम भगा के विधिक उत्तराधिकारी जो कि प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होते हुए खरताराम के पुत्र सामा (रेस्पा० 2) के ही नाम दर्ज किया जो कि विधि-विरुद्ध है। तथा ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरुद्ध नामान्तरकरण सं० 11 स्वीकृत किया गया है, काबिल निरस्त है। रेस्पा० सं० एक उपा०। हमने कोर्ट कैम्प में मजमा आम में केरा के पुत्रों व उनके वारिसान की अपीलांट द्वारा अपील में दर्शाई गई वंशावली की पुष्टि की। तथा अपीलांट के कथनों की ताईद होती है, कि केरा (मृतक) विधिक वारिसान का नाम विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करते समय दर्ज होना न्यायसंगत व विधि अनुरूप था लेकिन अधीनस्थ नामान्तरकरण 11 में दर्ज करके विधिक वारिसान का नाम दर्ज न कर भारी भूल की है	

तारीख हुक्मा	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तामिल में जारी हुए ।
	इसलिए उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण सं0 11 यथावत रखा जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।	
	—: आदेश :—	
	अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार करते हुए खसरा मौजा मुड़िया का नामान्तरकरण सं0 11 अपास्त किया जाकर त0 मा0 सं0 को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृतक केशा व उनके मृतक पुत्रों के विधिक वारिसान की जांच कर नियमानुसार नये सिरे नामान्तरकरण की कार्यवाही कर पक्षकार से अवगत करावें। मिसल फिसल मुताबिक होकर नम्बर से कम मुताबिक होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मजमा आम बमुकाम कैम्प [illegible] [illegible] में सुनाया गया।	